फा. संख्या 30035/15/1997- मा.(टी-1)/ भारत
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
*****

कृषि भवन , नई दिल्ली
दिनांक 22 फरवरी, 2024

आदेश

भारत के राष्ट्रपति मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन तथा समुद्री सुरक्षा कारणों से नीचे उल्लिखित अवधि के अनुसार पूर्वी तट [पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित] और पश्चिमी तट [गुजरात, दमन और दीव, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित] पर भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में प्रादेशिक जल से परे सभी मत्स्यन जहाजों द्वारा मत्स्यन पर एक समान प्रतिबंध लगाते हैं:

पूर्वी तट- 15 अप्रैल से 14 जून 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) (61 दिन)

पश्चिमी तट - 1 जून से 31 जुलाई 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) (61 दिन)

पारंपरिक गैर-मोटर चालित इकाइयों को प्रादेशिक जल से परे भारतीय ईईजेड में लगाए गए इस समान मत्स्यन प्रतिबंध से छूट दी जाएगी ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. संजय पांडे)
उप आयुक्त (मात्स्यिकी)

सेवा में,

1. सचिव (मत्स्यपालन), सभी समुद्री राज्य/केंद्र शासित प्रदेश।
2. अध्यक्ष, सभी प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट: कृपया बंदरगाह से गहरे समुद्र में मत्स्यन जहाजों का संचालन करने वाली सभी कंपनियों पर प्रतिबंध आदेश लागू किया जाए।
3. शिपिंग महानिदेशालय, 9वीं मंजिल बीटा बिल्डिंग, आई -थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुरमार्ग (पूर्व), मुंबई 400 042 को इस अनुरोध के साथ कि वे पूर्वी एवं पश्चिमी तटों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पुडुचेरी एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह तथा दमन एवं दीव में मत्स्यन जहाजों के सभी रजिस्ट्रारों को अधिसूचित करें।
4. निदेशक (संचालन), तटरक्षक मुख्यालय, राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, एफएसआई, मुंबई/निदेशक निफैट/सिफनेट, कोच्चि।
6. निदेशक, सीएमएफआरआई, पोस्ट बॉक्स नं. 1603, एर्नाकुलम उत्तर पी.ओ., कोच्चि-682-018।
7. प्रभारी अधिकारी, एनआईसी, डीओएफ , एमएफएएचएंडडी, कृषि भवन , नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मछुआरा मंच (एनएफएफ), एसएफएसएस सोसायटी लिमिटेड, सतपति पोस्ट, ताल, पालघर जिला, महाराष्ट्र 401405, ईमेल: nff@nffindia.org , rpatilnarendra@gmail.com , फोन: 02525224142

(डॉ. संजय पांडे)
उप आयुक्त (मात्स्यिकी)